[2019] 12 एस. सी. आर 946

एसएमटी। चिंताम्बरम और ए. एन. आर.

वी.

कर्नाटक राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1258)

22 अगस्त, 2019

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 - मामले के आधार पर

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-'एस' का विवाह 2006 में एक 'एल. एम.' के साथ संपन्न किया गया था-सी. डब्ल्यू.-1 द्वारा 2009 में एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी कि 'एस' को 'एल. एम.' और अन्य के साथ अपीलार्थियों ('एस' की सास और साली) द्वारा मार दिया गया है-निचली अदालत ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और

' अभियुक्त संख्या के साथ 'एस' की हत्या की साजिश रचने के लिए एल. एम. 4 और 5, हालांकि आरोपी संख्या। 6 8 को बरी कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने 'एल. एम.' को बरी कर दिया लेकिन अपीलकर्ताओं की सजा बरकरार रखी-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः पूरा अभियोजन उस आधार पर आगे बढ़ा कि अभियुक्त संख्या। 4 और 5 वास्तविक हमलावर थे-अभियुक्त संख्या। 4 और 5 को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया-अभियुक्तों के साथ अपीलार्थियों के खिलाफ साजिश का आरोप। 4 और 5 को न तो विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय में पक्ष नहीं मिला है अपीलार्थियों की दोषसिद्धि है

शायद मृतक के व्यक्ति को लगी चोटों के स्पष्टीकरण की कमी के आधार पर-हालाँकि, बयान से

पीडब्लू-20 का, उस घर के भूतल पर रहने वाला किरायेदार जिसमें अपीलार्थी और मृतक रह रहे थे, यह पाया गया कि पांच व्यक्ति थे जो पूजा कर रहे थे और उनमें से दो स्वामी परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है ताकि केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपीलार्थी और केवल अपीलार्थी ही अपराध करने के लिए जिम्मेदार थे-क्योंकि अभियोजन पक्ष की कहानी इस आधार पर आगे बढ़ी कि -

अपीलकर्ता षड्यंत्रकारियों का होता है लेकिन साजिश के आरोप को साबित करने में विफल रहने के कारण, अपीलकर्ताओं को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका -

अपराध यू / s.302-इस तरह की दोषसिद्धि ने न केवल पूर्वाग्रह पैदा किया है, बल्कि न्याय की विफलता भी पैदा की है, इसलिए दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-व्यवस्था बनाने में चूक

अभियुक्त के प्रति आरोप और परिणामी पूर्वाग्रह-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अभियोजन पक्ष का मामला पी. डब्ल्यू.-19 और पी. डब्ल्यू.-20 की गवाही पर आधारित है जो किरायेदार हैं और जमीन पर रहते हैं।

उस घर का तल जिसमें अपीलार्थी और मृतक रह रहे थे। पीडब्लू-19 ने अपनी जाँच में पदच्युत किया कि आरोपी नंबर 2 ने मृतक के चेहरे पर पानी छिड़का जब वह साथ था। अपीलार्थियों के पूछने पर अपनी पत्नी के साथ उनके घर गए। जिरह में, पूछा गया प्रश्न किराए के भुगतान के संबंध में मृतक के पति के साथ दुश्मनी के बारे में है।

[पैरा 11] [952-एफ]

1.2 पीडब्लू-20 का बयान, वास्तव में, घटना की तारीख पर दो अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति को साबित करता है और यह कि वहाँ

1.3 अपीलार्थियों की दोषसिद्धि संभवतः व्यक्ति को लगी चोटों के स्पष्टीकरण की कमी के आधार पर है। मृतक। हालाँकि, पीडब्लू-20 के बयान से पता चलता है कि पाँच व्यक्ति थे जो पूजा कर रहे थे और उनमें से दो स्वामी थे। इस प्रकार, अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई है

केवल एक निष्कर्ष निकालने के लिए कि केवल अपीलार्थी और अपीलार्थी ही अपराध करने के लिए जिम्मेदार थे। द.

अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सं. 3 वह अभियुक्त सं. था। 4 और 5 ने पैसे प्राप्त करके अपीलार्थियों के साथ साजिश रची है।

हालांकि, दोनों अदालतों ने साजिश के आरोप को साबित नहीं पाया है। [पैरा 15,17] [953-ई-एफ; 954-डी]

1.4 यह सवाल कि क्या आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत एक वैकल्पिक आरोप तैयार करने में चूक एक अवैधता है जो [2019] 12 एस. सी. आर. में कटौती करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोषसिद्धि के मूल में और अमान्य नहीं बनाता है या क्या यह एक उपचार योग्य अनियमितता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जांच की गई है। चूंकि अभियोजन पक्ष की कहानी इस आधार पर आगे बढ़ी कि अपीलकर्ताओं की भूमिका साजिशकर्ताओं की है, लेकिन साजिश के आरोप को साबित करने में विफल रहने के कारण, अपीलकर्ताओं को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका। इस तरह की दोषसिद्धि ने न केवल पूर्वाग्रह पैदा किया है, बल्कि न्याय की विफलता भी पैदा की है, इसलिए दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। [पारस 18,20,21] [954-ई; 955-सी]

विली (विलियम) स्लेनी बनाम। मध्य प्रदेश राज्य

ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116 [1955] एस. सी. आर. 1140-इसके बाद आया। मुलख राज बनाम। सतीश कुमार (1992) 3 एससीसी 43:

[1992] 2 एस. सी. आर. 484; मैन पाल बनाम। हरियाणा राज्य

(2010) 10 एससीसी 130: [2010] 11 एस. सी. आर. 336-पर निर्भर।

मामला कानून

संदर्भ

[1992] 2 एससीआर 484

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1955] एससीआर 1140

पीछा किया।

पै

रा 18

[2010] 11 एससीआर 336

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 1258

उच्च न्यायालय के 20.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की आपराधिक अपील संख्या 193 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार

निखिल गोयल, अश्विन V.Kotemath, श्रीमती एस. उषा रेड्डी, अधिवक्ता। के लिए अपीलार्थी।

वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. चिंतांबरम्मा, सास और सरस्वती, साली मृतक साहित्य की तारीख वाले फैसले के खिलाफ अपील में हैं 20 नवंबर, 2017 को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए।

अपीलार्थी चिंतामबरम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

3. मृतक साहित्य का विवाह 10 मार्च, 2006 को एल. मंजूनाथ के साथ संपन्न हुआ था। सी. डब्ल्यू. 1 द्वारा 25 अगस्त, 2009 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। अंजनम्मा ने कहा कि एल. मंजूनाथ, लक्ष्मी, राघवेंद्र और अरुणकुमारी के साथ अपीलकर्ताओं ने साहित्य की हत्या कर दी है। एफ. आई. आर. के आधार पर जाँच अधिकारी मंजूनाथ (पीडब्लू-18) द्वारा जाँच की गई थी। डॉ. एस. वेंकटराघव (पीडब्लू-21) ने पोस्टमॉर्टम किया। उसने कई नाखूनों पर खरोंच, चेहरे पर खरोंच देखी,

मुँह के चारों ओर, मैक्सिला, दाहिने तरफ की गर्दन के ऊपर, गर्दन के बीच के निचले हिस्से और दाहिने तरफ के निचले होंठ के आंतरिक हिस्से पर नाखून खरोंच के घर्षण। इससे पहले, डॉ. भक्तवत्सला (पीडब्लू-22) ने रमेश (पीडब्लू-19) द्वारा बुलाए जाने पर मृतक की जांच की। उन्होंने बताया कि

वह मर चुकी थी। 4. शुरू में, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप दहेज की मांग के थे और हमलावर आदिनारायण, आरोपी संख्या 4 और

वेंकटेश्वा, आरोपी संख्या 5 जिसने अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश में हत्या का कार्य किया। मृतक के परिजन थे

अंजनाम्मा (पीडब्लू-1), ओबलश (पीडब्लू-3), शंकर (पीडब्लू-4), हरिकृष्णा (पीडब्लू-6) और विजयकुमार (पीडब्लू-7) के रूप में जांच की गई। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है क्योंकि वे मुकर गए हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है

दहेज की माँग के कारण दहेज या क्रूरता की माँग। विद्वत विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

" 34. इसलिए, अभिलेख पर साक्ष्य से, अभियोजन पक्ष के मामले में विश्वास करने के लिए कोई ठोस और निर्णायक सबूत नहीं है कि आरोपी मृत साहित्य के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे और उसके माता-पिता के घर से और अधिक दहेज लाने की मांग कर रहे थे और ए. आई. का ए. 8 के साथ अवैध संबंध था और इस कारण से, वे मृतक साहित्य पर हमला और दुर्व्यवहार करता था। इसलिए, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अभियुक्त मृतक के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न कर रहे थे। इसलिए, मैं एक बात का जवाब देता हूं

नकारात्मक में नंबर 2 "।

5. हालाँकि, विद्वत निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं और मृतक के पति एल. मंजूनाथ को हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया।

अभियुक्त सं. के साथ साहित्य का। 4 और 5 लेकिन आरोपी संख्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 6 8 तक। नतीजतन, आरोपी संख्या। 6 8 को बरी कर दिया गया [2019] 12 एस. सी. आर.

ई ट्रायल कोर्ट। हालाँकि, अपील में, उच्च न्यायालय ने एल. उनाथा को बरी कर दिया, लेकिन अपीलार्थियों पर सजा बरकरार रखी। जबकि

अपीलार्थियों को उद्धृत करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:

" 16. ..... अभियुक्त का आचरण सं। 2 और 3 का पीडब्लू-20 के घर जाना और वहाँ दो घंटे रहना एक रहस्य बना हुआ है। PW.20 के अनुसार, आरोपी Nos.2 और 3 अपने घर लौट आए शाम करीब 6 बजे उसके साक्ष्य से पता चलता है कि दो अजनबी जो आरोपी के घर आए थे, चले गए थे

शाम करीब 5 बजे। इसके बाद, लगभग 8:30 बजे, आरोपी नं। 2 और कहा जाता है कि 3 ने पीडब्लू-19 को अपने पति को यह कहते हुए फोन किया कि मृतक जाग नहीं रहा था। पीडब्लू-19 ने अपदस्थ किया है कि वह पीडब्लू-22 डॉ. भक्तवत्सला को लाया था, जिन्होंने उन्हें बताया कि मृत्यु उनकी जाँच से लगभग तीन घंटे पहले हुई होगी। यदि इस समय को स्वीकार किया जाता है, तो हो सकता है कि मृत्यु शाम 5 बजे या शाम 6 बजे के बाद ही हुई हो, यानी आरोपी संख्या के बाद। 2 और 3 अपने घर लौट आए। इस प्रकार, पीडब्लू 19 और पीडब्लू-20 के साक्ष्य से, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब मृतक की मृत्यु हुई, तो केवल आरोपी संख्या। 2 और 3 घर में थे। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत जिसमें नोस पर आरोप लगाया गया था। 4 और 5 ने मृतक की हत्या कर दी जब आरोपी संख्या। 2 और 3 घर में नहीं थे, अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है और

अविश्वसनीय "।

6. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं का यह आचरण कि मृतक सो रहा था जब उन्होंने रमेश 19) और सरोजा (पीडब्लू-20) को सूचित किया, उनके आचरण पर गंभीर संदेह पैदा करता हैअपीलार्थियों का बाद का आचरण भी इस सिद्धांत को झुठलाता है कि यह किसी बाहरी व्यक्ति या अभियुक्त संख्या द्वारा किया गया था। 4 जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा किए जाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि

देर:

" 19. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में केवल आरोपी संख्या। 2 और 3 उपरोक्त अपराध के दोषी हैं।

वास्तव में, अभियुक्त के विद्वान वकील द्वारा भी एक तर्क दिया जाता है जिसमें तर्क दिया जाता है कि जब साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अपने ही मामले, चिंताम्बरम और ए. एन. आर. के लाभ के विपरीत है।

वी. कर्नाटक राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

यह अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। एक सिद्धांत के रूप में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामले को साबित करने में विफलता, अभियुक्त को बरी कर सकती है, लेकिन तत्काल मामले में, रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हमारी राय है कि शुरुआत से ही सही तथ्यों को विकृत करके एक झूठी कहानी पेश करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि आपराधिक साजिश का सिद्धांत और आरोपी की संलिप्तता संख्या। 4 और 5 को जांच अधिकारी के साथ मिलीभुगत से केवल वास्तविक अपराधियों अर्थात् आरोपी संख्या 5 को जमानत देने के लिए तैयार किया गया है। 2 और 3. तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर

साक्ष्य में सामने लाए जाने पर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी ने घटना के तीन दिन बाद किरायेदारों में से एक PW.20 का उपयोग करके आकार ले लिया है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में पेटेंट अवैधता की है, भले ही अपीलार्थियों के खिलाफ दहेज की मांग या उत्पीड़न का कोई आरोप साबित नहीं हुआ था या यहां तक कि आरोपी संख्या के साथ साजिश की साजिश के अभाव में भी। 4 और 5 मृतक की मृत्यु का कारण बनते हैं। षड्यंत्र के किसी भी सबूत के अभाव में और अपीलकर्ताओं के खिलाफ मृतक की जान लेने के लिए किसी भी आरोप के अभाव में, अपीलकर्ताओं को संभावनाओं के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अभियोजन पक्ष को पूरी श्रृंखला द्वारा उचित संदेह से परे आरोप साबित करना होता है

ऐसी परिस्थितियाँ जो एक दृढ़ निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं कि अपीलार्थी और

अकेले अपीलकर्ताओं ने मृतक की जान ले ली है। इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मान्य नहीं है।

8. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील अभियुक्त संख्या के खिलाफ बनाए गए आरोपों का उल्लेख करते हैं। 1 6 तक, जो नीचे पढ़ा गया हैः

" कि आपको शादी के समय 10.3.2006 पर 4 लाख रुपये नकद और 100 ग्राम सोना दहेज के रूप में प्राप्त हुआ और इस तरह आपने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध किया;

दूसरा, कि आप ए. 1, मृतक साहित्य के पति होने के नाते, आप ए. 2,3 और 6 से 8, ए. 1 के रिश्तेदार होने के नाते, समान इरादे से मृतक साहित्य को गाली देकर और उसके माता-पिता के घर से पैसे लाने की मांग करके क्रूरता का शिकार बनाते थे और इस तरह के आचरण से उसके खिलाफ बल प्रयोग करते थे जो कि साहित्य को आपके [2019] 12 एस. सी. आर. से मिलने के लिए गंभीर चोट पहुँचाने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नकद लाने की मांग करना और इस तरह दंडनीय अपराध करना

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के साथ 34 के तहत;

तीसरा, कि आप ए. 4 और 5 ने <आई. डी. 1 पर साहित्य की हत्या करने के लिए सहमति व्यक्त की और उनसे धन प्राप्त करके ए. 1 से 3 और ए. 6 से 8 के साथ साजिश रची और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध किया; चौथा, कि आप ए. 1 से 8 ने समान इरादे से <आई. डी. 1 को शाम 4:30 बजे, संख्या 27, द्वितीय क्रॉस, न्यू बैयप्पनहल्ली ने जानबूझकर साहित्य की गर्दन दबाकर हत्या की और उसकी मौत का कारण बने और इस तरह एक दंडनीय अपराध किया।

आई. पी. सी. की धारा 242 को 34 के साथ पढ़ा जाता है।

9. ट्रायल कोर्ट ने उन निष्कर्षों को वापस कर दिया है जो आरोप संख्या। 1 , 2 और 4 साबित नहीं हुए हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष वापस कर दिया है षड्यंत्र की कमी लेकिन निष्कर्ष पर, अपीलार्थियों को दोषी ठहराया।

10. उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी ने आपराधिक साजिश और इस अधिनियम के सिद्धांत को पेश करने में संदिग्ध भूमिका निभाई है

इसकी गणना वास्तविक अपराधियों की मदद करने और उन्हें बचाने के लिए की जाती है। जाँच अधिकारी ने जाँच में बाधा डाली और झूठे आरोप लगाए और अपीलार्थियों को दोषी ठहराया, हालाँकि अभियोजन केवल आरोपी संख्या के खिलाफ शुरू किया गया था। 4 और 5 षड्यंत्रकारियों के रूप में अपीलार्थियों की भूमिका के खिलाफ साजिश रचने वाले हमलावरों के रूप में।

11. अभियोजन पक्ष का मामला रमेश (पीडब्लू-19) और सरोजा (पीडब्लू-20) की गवाही पर आधारित है जो किरायेदार हैं और उस घर के भूतल पर रहते हैं जिसमें अपीलार्थी और मृतक रह रहे थे। रमेश (पीडब्लू-19) ने अपनी जाँच-इन-चीफ में कहा कि आरोपी नंबर 2 सरस्वती ने मृतक के चेहरे पर पानी छिड़का था। साहित्य जब अपीलार्थियों के कहने पर अपनी पत्नी के साथ उनके घर गए। जिरह में, पूछा गया प्रश्न किराए के भुगतान के संबंध में मृतक के पति के साथ दुश्मनी के बारे में है।

12. दूसरी ओर, सरोजा (पीडब्लू-20) ने अपदस्थ कर दिया कि मृतक का पति उसके घर आया और उसके पति से पूछा कि साहित्य

वह सो रही है और अपने प्रयासों के बावजूद जाग नहीं रही है। वे घर गए और उसे जगाने की कोशिश की। चूंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसके पति ने डॉक्टर को बुलाया। उसने अपदस्थ कर दिया कि आरोपी नंबर 6 राघवेंद्र ने उसकी उपस्थिति में साहित्य के साथ 2-3 बार झगड़ा किया था। घटना की तारीख को चिंताम्बरम और ए. एन. आर.

साहित्य के घर में प्रदर्शन किया गया, पाँच व्यक्ति थे। पूजा थी दो घंटे तक रखा। साहित्य और दो स्वामी पूजा कर रहे थे। उसने उस समय पर ध्यान नहीं दिया जब दो स्वामी साहित्य के घर से बाहर आए।

13. सरोजा (पीडब्लू-20) का बयान, वास्तव में, उपस्थिति को साबित करता है।

घटना की तारीख को दो अन्य व्यक्तियों की और यह कि वहाँ स्वामी पूजा कर रहे थे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि जांच अधिकारी ने अपीलार्थियों के खिलाफ जांच को विफल कर दिया, अनुमानों पर आधारित हैं, भले ही अभियोजन पक्ष के गवाह ने इस आशय की गवाही दी हो। 14. पूरा अभियोजन उस आधार पर आगे बढ़ा जिस आधार पर नं. 4 और 5 वास्तविक हमलावर थे। अभियुक्त सं। 4 और 5 को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। अभियुक्त सं. के साथ अपीलार्थियों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप। 4 और 5 को न तो विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय में पक्ष नहीं मिला है।

15. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि संभवतः मृतक के व्यक्ति पर लगी चोटों के स्पष्टीकरण की कमी के आधार पर है। हालाँकि, हम सरोजा (पीडब्लू-20) के बयान से पाते हैं कि पाँच व्यक्ति थे जो पूजा कर रहे थे और उनमें से दो स्वामी थे। इस प्रकार, अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं की गई है ताकि केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सके कि केवल अपीलार्थी और अपीलार्थी ही अपराध करने के लिए जिम्मेदार थे। 16. मुलख राज बनाम। सतीश कुमार ', न्यायालय ने पैराग्राफ 4 में कानूनी स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार दोहरायाः

सबूत। यह दोहराना तुच्छ है कि एक मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अभियोजन पक्ष को सभी को साबित करना चाहिए

1 (1992) 3 एस. सी. सी. 43 [2019] 12 एस. सी. आर.

लाभ पाने का अधिकार। जो आवश्यक है वह मात्रात्मक नहीं है लेकिन अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली श्रृंखला को पूरा करने के लिए गुणात्मक, विश्वसनीय और संभावित परिस्थितियाँ। यदि अपराध के संबंध में अभियुक्त के आचरण पर सवाल उठते हैं तो पिछले और बाद के आचरण भी प्रासंगिक तथ्य हैं। इसलिए, अभियुक्त के सामान्य आचरण की अनुपस्थिति और मामले की मानवीय संभावनाएं भी प्रासंगिक होंगी। अदालत को परिस्थितियों के संचयी प्रभाव के साक्ष्य को तौलना चाहिए और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो आरोप को साबित किया जाना चाहिए और दोषसिद्धि और

वाक्य का पालन होगा "।

17. हम पाते हैं कि अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप संख्या 3 वह आरोपी संख्या थी। 4 और 5 ने पैसे प्राप्त करके अपीलार्थियों के साथ साजिश रची है। हालांकि, दोनों अदालतों ने साजिश के आरोप को साबित नहीं पाया है। क्या, इन परिस्थितियों में, अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, इसके बिना भी इस प्रभाव के लिए चार्ज किया जा रहा है?

18. यह प्रश्न कि क्या आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत एक वैकल्पिक आरोप तैयार करने में चूक एक अवैधता है जो दोषसिद्धि की जड़ को काटती है और अमान्य नहीं बनाती है या क्या यह एक उपचार योग्य अनियमितता है, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जांच की गई है। पहले निर्णयों में से एक विली (विलियम) स्लेनी बनाम है। मध्य प्रदेश राज्य 2 जहाँ संविधान पीठ ने संहिता की वर्तमान धारा 464 के संदर्भ में अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह और मुकदमे को दूषित करने में न्याय की विफलता की अवधारणा को समझाया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 5. इससे पहले कि हम अपना उत्तर निर्धारित करने और संहिता के प्रावधानों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, हम यह देखने के लिए रुकेंगे कि संहिता है

प्रक्रिया की एक संहिता और, सभी प्रक्रियात्मक कानूनों की तरह, न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है न कि उन्हें निराश करने के लिए

अंतहीन तकनीकीताओं का परिचय। संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक अभियुक्त व्यक्ति को कुछ अच्छी तरह से स्थापित और अच्छी तरह से समझी गई पंक्तियों के साथ एक पूर्ण और निष्पक्ष मुकदमा मिले जो हमारे नियमों के अनुरूप है।

2 ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 116 हिंटंबराम्मा और ए. एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य [हेमंत गुप्ता, जे.]

प्राकृतिक न्याय की धारणाएँ। यदि वह करता है, यदि वह एक सक्षम द्वारा मुकदमा चलाया जाता है न्यायालय, यदि उसे बताया जाता है और स्पष्ट रूप से उस अपराध की प्रकृति को समझता है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, यदि उसके खिलाफ मामला पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से समझाया गया है और उसे एक पूर्ण और निष्पक्ष अवसर दिया गया है।

अपना बचाव करने के लिए, तब, बशर्ते कि पर्याप्त हो कानून के बाहरी रूपों का अनुपालन, प्रक्रिया में केवल गलतियाँ, केवल असंगत त्रुटियाँ और मुकदमे में चूक को संहिता द्वारा अनैतिक माना जाता है और मुकदमे को तब तक दूषित नहीं किया जाता है जब तक कि आरोपी पर्याप्त पूर्वाग्रह न दिखा सके। मोटे तौर पर यही वह मूल सिद्धांत है जिस पर संहिता आधारित है।

19. बाद में, मैं पाल बनाम। हरियाणा राज्य 3, इस न्यायालय ने आरोप तय करने में चूक के परिणामस्वरूप विंग सिद्धांतों को प्रासंगिक पाया। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. इस मामले से संबंधित संहिता की धारा 212,215 और 464 से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं -

उन्होंने कहाः

(i) आरोप तय करने का उद्देश्य एक अभियुक्त को इस बात का स्पष्ट अंदाजा लगाने में सक्षम बनाना है कि उस पर किस लिए मुकदमा चलाया जा रहा है और उन आवश्यक तथ्यों के बारे में जिन्हें उसे पूरा करना है। आरोप में तारीख, समय, स्थान और उस व्यक्ति का विवरण भी होना चाहिए जिसके खिलाफ अपराध किया गया था, जो आरोपी को नोटिस देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं।

जिस मामले में उस पर आरोप लगाया गया है।

((ii) अभियुक्त निश्चितता और सटीकता के साथ जानने का हकदार है।

उसके खिलाफ आरोप की सटीक प्रकृति, और जब तक उसे ऐसी जानकारी नहीं है, तब तक उसका बचाव पूर्वाग्रहपूर्ण होगा। जहाँ एक अभियुक्त पर एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन

साक्ष्य के आधार पर, उसे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, इसके संबंध में आरोप बनाए बिना, आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी। लेकिन न्याय का कोई पूर्वाग्रह या विफलता नहीं होगी जहां आरोप में कोई त्रुटि थी और आरोपी को त्रुटि के बारे में पता था। इस तरह के ज्ञान का बचाव पक्ष से अनुमान लगाया जा सकता है, यानी अगर आरोपी के बचाव से पता चलता है कि वह बचाव पक्ष के खिलाफ अपना बचाव कर रहा था।

वास्तविक और वास्तविक आवेश और गलत आवेश नहीं।

((iii) अपराध के रूप में पूर्वाग्रह के प्रश्न का निर्णय करने में, अदालतों को एक व्यापक दृष्टि के साथ कार्य करना चाहिए और सार पर ध्यान देना चाहिए न कि तकनीकीताओं पर, और उनकी मुख्य चिंता यह देखना होनी चाहिए कि क्या अभियुक्त का निष्पक्ष परीक्षण था, क्या वह जानता था कि उसके खिलाफ किस लिए मुकदमा चलाया जा रहा था, क्या उसके खिलाफ स्थापित किए जाने वाले मुख्य तथ्यों को उसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से समझाया गया था, और क्या उसे अपना बचाव करने का पूर्ण और निष्पक्ष मौका दिया गया था।

इस तरह के दोषसिद्धि ने न केवल पूर्वाग्रह पैदा किया है, बल्कि ई की विफलता भी हुई है, इसलिए, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।21. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हैं। उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।

के साथ, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।

अपील की

अनुमति दी गई।

पांडे